3598

पत्रांक / /आयु0कर0उत्तरा0/प्रव0–अनु0 / 16–17/वाणि0कर/देहरादून।

कार्यालयः आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(प्रवर्तन–अनुभाग)
देहरादून::दिनांक:: 07 सितम्बर, 2016

समस्त एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर।
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर।
समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर।
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर।

//परिपत्र//

मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि विभाग के वेब सर्वर के डेटा के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। पूर्व में भी वेब सर्वर से इस प्रकार की छेड़छाड़ किए जाने की सूचनाएं प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर–जनित ट्रिपशीट के विवरणों में फेरबदल किये जाने सम्बन्धी सूचनाएं भी प्राप्त हुई है। अतः इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं –

(1) सभी सचलदल इकाईयों एवं विशेष अनुसंधान शाखा (विशेष कार्यबल इकाईयों) को बार कोड स्कैनर प्रदान किये गये हैं। सभी इकाईयां इन बार कोड स्कैनर का प्रयोग सुनिश्चित करेंगी एवं ऐसे समस्त कम्प्यूटर–जनित प्रपत्र जिन पर किसी भी प्रकार का कोड (यथा बार कोड/क्यू आर कोड आदि) अंकित है, की जांच मैनुअली नहीं की जाएगी।

(2) सचलदल, विशेष कार्यबल इकाई, विशेष सचलदल अथवा वाहनों की जांच हेतु प्राधिकृत कोई भी अन्य इकाई वाहन में लदे माल से सम्बन्धित प्रपत्रों की जांच करते समय ट्रिपशीट की जांच, ट्रिपशीट पर अंकित बार कोड अथवा अन्य किसी संकेतक जैसे क्यू आर कोड आदि को स्कैन करके प्राप्त होने वाले डाटा से, ट्रिपशीट पर अंकित तथ्यों का मिलान, करके करेंगी। स्कैन करने के उपरान्त प्राप्त तथ्यों व विवरणों का पूर्णतः मिलान स्कैन की जा रही ट्रिपशीट से होने पर ही जांची जा रही ट्रिपशीट वैध मानी जाएगी।

(3) उक्त बिन्दु संख्या (2) में वर्णित इकाईयों के नियंत्रक एवं समीक्षक अधिकारी समय समय पर इस तथ्य का सत्यापन करेंगे कि उनके अधीन कार्यरत इकाईयों द्वारा प्रपत्रों की जांच हेतु बार कोड रीडर का प्रयोग किया जा रहा है। यदि किसी इकाई के पास बार कोड रीडर उपलब्ध नहीं है तब सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी तत्काल इसकी सूचना अपने नियंत्रक व समीक्षक अधिकारी को देंगे।

Scanned by CamScanner

(4) इकाई को बार कोड स्कैनर उपलब्ध कराने एवं उसका प्रयोग सुनिश्चित करने का दायित्व इकाई के प्रभारी अधिकारी का होगा।

(5) बार कोड स्कैन करने के लिए पृथक उपकरण के साथ–साथ मोबाइल एप का भी प्रयोग किया जा सकता है।

(6) सड़क जांच अथवा वाहनों से सम्बन्धित प्रपत्रों की जांच के दौरान बार कोड स्कैनर का प्रयोग करने का दायित्व जांच दल के प्रभारी अधिकारी/जांच दल के वरिष्ठतम अधिकारी होगा।

(7) यादृच्छिक (रैण्डम) जांच पर यदि कोई इकाई बिना बार कोड स्कैनर के जांच करती पाई जाती है तब जांच दल के प्रभारी अधिकारी/जांच दल के वरिष्ठतम अधिकारी तथा उस इकाई के प्रभारी अधिकारी इसके लिए पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।

(8) निरीक्षण पर अथवा अन्यथा किसी इकाई द्वारा संग्रहीत किसी ऐसे प्रपत्र, जिस पर कोई संकेतक अंकित हो, से छेड़छाड़ पाई जाती है तब उस प्रपत्र के संग्रहकर्ता अधिकारी, इन निर्देशों के उल्लंघन के दोषी तथा ऐसी छेड़छाड़ के कारण हुई अथवा होने वाली किसी राजस्व क्षति के लिए उत्तरदायी समझे जायेंगे।

(9) जांच के दौरान अथवा पूर्व में भी जिन अधिकारियों अथवा कार्यालयों के संज्ञान में वेबसर्वर डेटा के साथ छेड़छाड़ अथवा ट्रिपशीट के विवरणों में फेरबदल के प्रकरण संज्ञान में आए हैं, अथवा भविष्य में संज्ञान में आते हैं तब तत्काल मुख्यालय को अवगत कराया जाय तथा प्रकरण की जांच सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (प्रवर्तन) द्वारा की जाए।

(10) ऐसी जांच के पश्चात प्रकरण सही पाए जाने पर इसमें संलिप्त व्यक्तियों अथवा व्यापारियों के विरूद्व तत्परतापूर्वक प्राथमिकी दर्ज कराई जाए।

(11) उचित कारण के बगैर प्राथमिकी दर्ज न कराए जाने की दशा में इसे निर्देशों का उल्लघंन मानते हुए सम्बन्धित अधिकारियों के विरूद्व कार्यवाही अपेक्षित होगी।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(रणवीर सिंह चौहान)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

Scanned by CamScanner